



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार 21 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1924

(दिनांक : 11 जून, 2002)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "ख")।
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरुद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।
6. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
7. समाज कल्याण मंत्री उत्तरांचल अल्प संख्यक आयोग, विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
8. समाज कल्याण मंत्री उत्तरांचल अल्प संख्यक आयोग, विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।
9. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ग")
10. कार्य-स्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
11. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्यय की मांगों पर चर्चा एवं मतदान:-

- 1- शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 7484486 हजार (सात सौ अड़तालीस करोड़ चौवालीस लाख छियासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

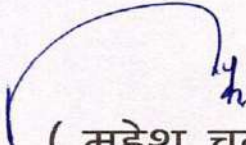
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- 2- श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16, श्रम एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 278747 हजार (सत्ताईस करोड़ सत्तासी लाख सैंतालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ङ))
- 3- परिवहन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 436087 हजार (तैंतालीस करोड़ साठ लाख सत्तासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (च))
- 4- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2003384 हजार (दो सौ करोड़ तैंतीस लाख चौरासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (छ))
- 5- आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 28293 हजार (दो करोड़ बयासी लाख तिरानवें हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ज))
- 6- पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 392581 हजार (उन्तालीस करोड़ पच्चीस लाख इक्कासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (झ))
- 7- कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17, कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1868932 हजार (एक सौ छियासी करोड़ नवासी लाख बत्तीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ञ))

- 8- राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1061695 हजार (एक सौ छः करोड़ सोलह लाख पच्चावन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ट))
- 9- खाद्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 120009 हजार (बारह करोड़ नौ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ठ))
- 10- वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1585188 हजार (एक सौ अठ्ठावन करोड़ इक्कावन लाख अठ्ठासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))
- 11- समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1485888 हजार (एक सौ अड़तालीस करोड़ अठ्ठावन लाख अठ्ठासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ढ))
- 12- सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 116513 हजार (ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ण))
- 13- पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28, पशुपालन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 307803 हजार (तीस करोड़ अठ्ठत्तर लाख तीन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (त))

- 14- उद्योग मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 860352 हजार (छियासी करोड़ तीन लाख बावन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (थ))
12. नियम 103 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण:-
“इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश में पौलिथीन के प्रयोग में नियम बनाकर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाय।”
13. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
14. उत्तरांचल में सभी क्षतिग्रस्त नहरों, नलकूपों तथा सिंचाई लिफ्ट योजनाओं की मरम्मत कर धान की रोपाई हेतु सिंचाई के लिए तैयार किये जाने के संबंध में श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 5 जून, 2002 को दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का नियम-56 के अन्तर्गत वक्तव्य।
15. अस्थायी राजधानी निर्माण में धांधली और अनियमितताओं के संबंध में श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 5 जून, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

देहरादून
दिनांक : 11 जून, 2002

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव।

नत्थी (क)

द्वितीय सत्र, 2002
का द्वितीय सोमवार

—: अल्पसूचित प्रश्न :-

काजी निजामुद्दीन
30-05-2002

****1.** क्या गन्ना मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार में गन्ने की फसल पर पायरिला कीट का जबरदस्त प्रकोप हो रहा है, जिससे गन्ने की फसल बहुत तेजी से खराब हो रही है और किसानों को करोड़ों रुपये की हानि हो रही है ? यदि हाँ, तो सरकार पाइरिला कीट को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

गन्ना विकास

श्री मातबर सिंह कण्डारी
28-05-2002

****2.** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के वन क्षेत्र में पेड़ों के अवैध-पातन, अवैध खनन, वन भूमि में अतिक्रमण तथा वन जन्तुओं के अवैध शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सरकार वन सेना का गठन तत्काल करने जा रही है ? यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

—: तारांकित प्रश्न :—

श्री प्रकाश पंत

11-04-2002

श्री मातबर सिंह कण्डारी *1. क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन निगम गढ़वाल क्षेत्र के छटनी शुदा कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में विधान सभा की संसदीय जांच समिति ने अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट दिनांक 21-11-2001 को प्रस्तुत की थी ? यदि हाँ, तो उसके आधार पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

21-05-2002

श्री हरबंस कपूर

23-05-2002

वन

श्री मदन कौशिक

11-04-2002

*2. अस्पष्टता के आधार पर निरस्त

लोक निर्माण

श्रीमती आशा नौटियाल

15-04-2002

*3. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम को मोटर मार्ग से जोड़ने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त धाम को मोटर मार्ग से जोड़ दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण

श्री तसलीम अहमद

15-04-2002

*4. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि लालढांग, विधान सभा क्षेत्र जनपद हरिद्वार के लालढांग, डाल्लुपूरी आदि ग्रामों में पीने के पानी की भारी किल्लत है ? यदि हाँ, तो क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभाग के पास कोई योजना है ? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है ?

पेयजल

श्री प्रीतम सिंह पंवार

17-04-2002

*5. क्या ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व की भांति सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट योजना को सरकार बहाल करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल

श्री विशन सिंह चुफाल

01-05-2002

*6. क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पेयजल के स्रोतों में पानी कम होता जा रहा है ? क्या सरकार पेयजल के संकट को देखते हुए कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल

- श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 04-05-2002 *7. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजधानी देहरादून में बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए कोई स्थायी पेयजल योजना बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? पेयजल
- श्री अजय भट्ट 04-05-2002 *8. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि अपने नाप खेतों से उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों के लोग स्वीकृति के बाद अपने प्रयोग हेतु पेड़ काट सकते हैं ? क्या यह सही है कि सरकार नाप खेतों के पेड़ों को भी वन निगम के माध्यम से कटवाने की योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो वन
- श्री शहजाद 06-05-2002 क्या सरकार किसानों के हित को देखते हुए नाप खेत के पेड़ों को कटवाये जाने सम्बन्धी नियमों में सरलीकरण किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री मातबर सिंह कण्डारी 28-05-2002
- काजी निजामुद्दीन 04-05-2002 *9. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में पूर्व विधायकों की विधायक निधि से स्वीकृत कितने विकास कार्यों का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ? क्या सरकार इन अधूरे कार्यों को पूरा करायेगी , यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? ग्राम्य विकास
- कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 06-05-2002 *10. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ब्लाक खानपुर जनपद हरिद्वार स्थित ग्राम बादशाह उर्फ पासपुर के नाले पर पुल निर्माण हेतु शासन की कोई योजना है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस स्थल पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती है तथा निकटवर्ती 21 गावों के निवासियों को जन-धन की क्षति उठानी पड़ती है ? क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? लोक निर्माण
- श्री मातबर सिंह कण्डारी 08-05-2002 *11. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाँयू तथा गढ़वाल मण्डल के वन विभाग के डिपुओं में कितना कुन्तल लीसा जमा है तथा वर्ष 2001-2002 में कितने कुन्तल लीसा की बिक्री हुई ? क्या यह सत्य है कि वन विभाग के डिपो में बड़ी मात्रा में लीसा पड़ा है तथा प्रदेश में लीसा फ़ैक्ट्री मालिक लीसा न मिलने के कारण परेशान हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार लीसा बिक्री नीति बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? वन
- श्री गणेश प्रसाद गोदियाल 29-05-2002
- श्रीमती विजय बड़थवाल 10-05-2002 *12. अस्पष्टता के आधार पर निरस्त पेयजल

श्री हरबंस कपूर
10-05-2002

*13. क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास

श्री सुरेश चन्द्र जैन
16-05-2002

*14. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीवर डिसपोजल बेस प्रोजेक्ट रुड़की शहर जनपद हरिद्वार में लगाने की व्यवस्था सरकार कर रही है जिससे गैस का उत्पादन होगा गैस से टर्बाइन के द्वारा बिजली का निर्माण किया जा सकता है ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल

श्री दिनेश अग्रवाल
16-05-2002

*15. क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी देहरादून में कितने ग्रामीण क्षेत्र आते हैं ? क्या इन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वही प्रक्रिया अपनायी जाती है, जो प्रक्रिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाँवों के विकास हेतु अपनायी जाती है ? यदि हाँ, तो अब तक कितने गाँव इससे लाभान्वित हुए हैं ?

द्वितीय गुरुवार के तारा 10
9 में स्था 10

श्री योगम्बर सिंह रावत
20-05-2002

*16. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पेयजल समस्या के निदान हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है ? इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

पेयजल

श्री नारायण सिंह
जंतवाल
21-05-2002

*17. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक/अस्थायी मजदूरों की संख्या उत्तरांचल में कितनी है ? क्या इन दैनिक श्रमिकों को नियमित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हाँ, तो कार्यवाही कब तक कर ली जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण

श्री बलबीर सिंह नेगी
21-05-2002

*18. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश से घुमन्तू गड़रियों के टिहरी गढ़वाल में आने से इस जनपद के बुग्यालों को भारी क्षति हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन घुमन्तू गड़रियों से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

अतारांकित

श्री मदन कौशिक 15-04-2002	1. क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में सम्पन्न हुए कुंभ मेले का बजट कितना था और आगामी 2004 में होने वाले अर्द्ध कुंभ में सरकार कितने बजट की व्यवस्था करने जा रही है ? उस कुल बजट का कितना भाग स्थायी और कितना अस्थायी कार्यों के लिये होगा?	नगर विकास
कुँवर प्रणव "चैम्पियन" 02-05-2002	2. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार तहसील लक्सर के अन्तर्गत सौलानी नदी पर विभाग द्वारा निर्मित पुल पर कर वसूली के लिए ठेका दिये जाने का विषय शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि इस पुल के निर्माण की लागत वसूल हो चुकी है ? यदि हाँ, तो इस पुल के कर की वसूली के लिए पुनः ठेका दिये जाने का औचित्य क्या है ?	लोक निर्माण
श्री अजय भट्ट 02-05-2002	3. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तहसील के तिपोला नामक स्थान पर लगभग 20 वर्ष पूर्व गंगास नदी पर मोटर पुल बनाया गया था ? यदि हाँ, तो इस पुल के उपयोग हेतु डयोड़ाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री विशन सिंह चुफाल 03-05-2002	4. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में नामिक के पास राम गंगा नदी में झूला पुल बह जाने से पर्यटक तार के सहारे नदी पार कर रहे हैं ? क्या सरकार यथाशीघ्र जनहित में झूला पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री विशन सिंह चुफाल 03-05-2002	5. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुरानाथल, तड़ीगांव मोटर मार्ग में राम गंगा नदी में मोटर पुल का निर्माण न होने से पचास किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ता है ? क्या सरकार जनहित में इस मोटर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री अजय भट्ट 30-04-2002	6. क्या वन मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में वन संरक्षण नियमों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की कितनी सड़के स्वीकृति हेतु लम्बित हैं ? इन्हें कब तक स्वीकृत करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन

श्री प्रकाश पंत 03-05-2002	7. क्या सरकार उत्तरांचल के प्रत्येक जिले में पत्रकार कल्याण निधि स्थापित करने की कोई योजना बनाने जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?	सूचना
श्री विशन सिंह चुफाल 04-05-2002	8. क्या पेयजल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में जल निगम द्वारा निर्मित होकरा पेयजल योजना से कुल कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं ? क्या बचे हुए परिवारों को इसका लाभ मिलेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पेयजल
श्री विजय पाल सिंह सजवाण 04-05-2002	9. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी में ज्ञानसू-सारन्ड उपरी कोट मोटर मार्ग धनाभाव के कारण अपूर्ण है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त मोटर मार्ग के पुनरीक्षित आगणन की शासन द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मोटर मार्ग को पूर्ण कराने हेतु यथाशीघ्र धन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री विजय पाल सिंह सजवाण 04-05-2002	10. क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उत्तरकाशी में स्यानाचट्टी-कुपडा मोटर मार्ग के कि०मी० 1 में निर्माणाधीन सेतु का सुरक्षात्मक कार्य धनाभाव के कारण रुका हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के निर्माण हेतु धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री विशन सिंह चुफाल 06-05-2002	11. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में आदेचौरा लेकधार हल्का वाहन मोटर मार्ग का निर्माण वर्ष 1997-98 में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री मातबर सिंह कण्डारी 06-05-2002	12. क्या पेयजल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग की पट्टी बछणस्यूँ के अन्तर्गत ग्राम आरस्यूँ पौड़ीखाल निसैंगी धारकोट बणसों में गंभीर पेयजल संकट है ? क्या उक्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पेयजल
श्री मातबर सिंह कण्डारी 06-05-2002	13. क्या पेयजल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग की पट्टी तल्ला नागपुर के अन्तर्गत खड़पत्या, ढौन्डिक भैसंगांव, चापड़ गढ़मिल एवं गंधारी में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ? उक्त ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पेयजल

द्वितीय बुधवार के अता०
१३ में स्था०

लोक निर्माण

लोक निर्माण

लोक निर्माण

लोक निर्माण

10-06-2002 को अता0
35 द्वारा उत्तरित

श्री प्रकाश पंत 10-05-2002	20. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था ? क्या यह सही है कि इस अभियान के कारण शहर के अन्दर की समस्त हाटमिक्स सड़के तथा नालियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सड़के व नालियों का पुर्ननिर्माण कराया जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास
श्री प्रकाश पंत 14-05-2002	21. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में जाटगंगा में पुल निर्माण की स्वीकृति बार्डर एरिया डेवलमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत हुई है ? यदि हाँ, तो स्वीकृति कब हुई तथा वर्तमान में कार्य की प्रगति क्या है ?	लोक निर्माण
श्री हरबंस कपूर 14-05-2002	22. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर निगम का कुल कितना क्षेत्र सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित है ? क्या शेष क्षेत्र को भी सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित करने हेतु शासन स्तर पर कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पेयजल
श्री मातबर सिंह कण्डारी 15-05-2002	23. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में कोट बघाणी खोड़ मोटर मार्ग शासन के द्वारा स्वीकृत है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री सुरेश चन्द्र जैन 15-05-2002	24. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहारनपुर से भगवानपुर ग्राम इमली खेड़ा, धनौरी होते हुए हरिद्वार अन्तर्राज्य बाईपास मार्ग पर पड़ने वाली ग्राम ईमली खेड़ा के पास वाली नदी के ऊपर पुल न होने के कारण यातायात बाधित हो रहा है ? क्या यह सत्य है कि यह बाई पास मार्ग पंजाब, हिमाचल तथा हरियाणा को हरिद्वार से सीधा जोड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थान पर पुल निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण
श्री हरबंस कपूर 15-05-2002	25. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के सुदूर स्थित वनों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए पीने का पानी, आवास एवं मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| श्री हरबंस कपूर
16-05-2002 | 26. क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुलभ इण्टर नेशनल पर सरकार की कितनी धनराशि बकाया है ? क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बकाया राशि कब और किस प्रकार वसूल की जाएगी ? | नगर विकास |
| श्रीमती विजय बड़थवाल
16-05-2002 | 27. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम द्वारा किसी योजना की मद से निर्मित भवनों को योजना के स्थानान्तरण के समय इन भवनों को भी जल संस्थान को हस्तान्तरण किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? | पेयजल |
| श्री हरबंस कपूर
17-05-2002 | 28. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून के बीचों बीच स्थित इन्नामुल्लाह बिल्डिंग में चल रहे अवैध बूचड़खाने को हटाने हेतु कोई कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | नगर विकास |
| श्री प्रकाश पंत
17-05-2002 | 29. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में 37 अम्बेडकर गांवों को जोड़ने के लिए 31 सम्पर्क मार्गों तथा हल्का वाहन मार्गों की स्वीकृति वर्ष 1997 में दी गई थी ? यदि हाँ, तो क्या निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? | लोक निर्माण |
| श्री नारायण राम आर्य
17-05-2002 | 30. क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को जानकारी है कि रेसकोर्स स्थित राजकीय कालोनी देहरादून का भवन संख्या 4/8 अनाधिकृत अध्यासन में है ? यदि हाँ, तो इसको आदेश सं. 172/एक-6/2002 दिनांक 15 अप्रैल, 2002 द्वारा आवंटित किए जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त अनाधिकृत अध्यासी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अधिकृत आंबटी को उक्त भवन का अध्यासन दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ? | राज्य सम्पत्ति |
| श्री मातबर सिंह कण्डारी
17-05-2002 | 31. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत काम करने वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी मजदूरी दी जाती है ? क्या शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी कम है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| श्री मातबर सिंह कण्डारी
17-05-2002 | 32. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में निर्बल आवास तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सुविधा हेतु पात्रता के मानक क्या है तो पात्र व्यक्तियों का चयन किस प्रकार किया जाता है ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि उक्त योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले ? | ग्राम्य विकास |

- श्री मातबर सिंह कण्डारी 33. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने ग्राम पेयजल संकट से ग्रसित हैं ? इन ग्रामों को जल आपूर्ति हेतु सरकार क्या कोई योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? पेयजल
- 18-05-2002
- श्री मातबर सिंह कण्डारी 34. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में वन विभाग द्वारा रतूड़ा बौटा जीप मार्ग का निर्माण कराया गया था ? यदि हाँ, तो क्या यह मार्ग वाहन चलाने योग्य है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जीप मार्ग को वाहन चलाने योग्य बनायेगी ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? वन
- 18-05-2002
- श्री प्रकाश पंत 35. क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रथम विधान सभा के गठन के पश्चात् मंत्री आवासों, मुख्यमंत्री आवास तथा सचिव आवासों में विभिन्न मदों में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सुसज्जित आवासों में वर्तमान में भी पुर्नरक्षण तथा सज्जा का कार्य चल रहा है ? यदि हाँ, तो इन कार्यों का अनुमानित व्यय कितना है ? राज्य सम्पत्ति
- 20-05-2002
- श्री मातबर सिंह कण्डारी 36. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नगर पंचायतों तथा नगरपालिका परिषदों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार इन स्वायत्त शासित संस्थाओं के वित्तीय संकट को दूर करने का प्रयास करेगी ? नगर विकास
- 20-05-2002
- श्री हरबंस कपूर 37. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून विधान सभा क्षेत्र में कालोनियों एवं बस्तियों में स्थित पार्कों को सुधारने एवं उनके रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? नगर विकास
- 20-05-2002
- श्री विशन सिंह चुफाल 38. क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कूटा पंद्रह पाला, राया, बजेता पेयजल योजना पुर्नगठन निर्माण हेतु प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो इस योजना से कब तक पेयजल आपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? पेयजल
- 20-05-2002
- श्री बलबीर सिंह नेगी 39. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी रियासत समायोजन के समय मूल निवासियों के क्या-क्या हक हकूक उत्तर प्रदेश सरकार के साथ तय थे ? क्या मेजर शर्तो का अनुपालन उत्तरांचल सरकार भी करेगी ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब शासनादेश जारी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? वन
- 21-05-2002

वन

श्री बलबीर सिंह नेगी
21-05-2002

40. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि घूमन्तू वन गूजरों को शासन की अनुशंसा पर हिमालय के बुग्यालों पर चरान-चुगान परमिट प्रदत्त किए जाते हैं ? यदि हाँ, तो क्या जानवरों का भौतिक सत्यापन करवाकर ही टैक्स लगता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शहजाद
21-05-2002

41. क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि "ए" श्रेणी के बड़े ठेकेदारों को वर्टीकल प्रक्रिया के अनुसार कार्य देकर छोटे कार्य कराये जा रहे हैं ? जिससे छोटे ठेकेदारों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हाँ, तो क्या इस समस्या के निदान हेतु वर्टीकल प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण

श्री गगन सिंह रजवार
21-05-2002

42. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि तहसील धारचूला जनपद पिथौरागढ़ के बलुवाकोट पय्या पौड़ी मोटर मार्ग के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय हुई तथा वह मोटर मार्ग वर्तमान में किस स्थिति में है ?

लोक निर्माण

श्री गगन सिंह रजवार
21-05-2002

43. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी के बौना मोटर मार्ग हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत थी तथा मोटर मार्ग पर कितना व्यय हुआ है ? उस मोटर मार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है ?

लोक निर्माण

श्री गगन सिंह रजवार
21-05-2002

44. क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला की सर्प रोड़ा पेयजल योजना कब शुरू की गयी थी तथा इसमें कितनी धनराशि व्यय की गयी उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इससे कितने ग्राम लाभान्वित होंगे ?

पेयजल

श्री माल चन्द
21-05-2002

45. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोविन्द पशु विहार क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियाँ जारी होने के पश्चात् भी वृक्षों का कटान न होने के कारण अथवा वन भूमि के कारण जनपद पुरोला क्षेत्र में कितनी सड़कों का निर्माण कार्य लम्बित पड़ा है ? इन सड़कों को शीघ्र बनाये जाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि इन सड़कों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग को आवश्यक धनराशि दी जा चुकी है ? यदि हाँ, तो इन सड़कों के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ?

वन

श्री नारायण सिंह
जंतवाल
22-05-2002

46. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन निगम में कार्यरत स्केलरों को अभी तक पंचम् वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है ? यदि हाँ, तो क्या इन्हे भी समकक्ष पद के समान वेतन दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है तथा कब तक उक्त कर्मियों को वेतनमान दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| श्री गगन सिंह रजवार
22-05-2002 | 47. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जौल जीवी झूलाघाट टनकपुर मोटर मार्ग निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था अब तक कितना कार्य हो चुका है एवं शेष कार्य अभी तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? | लोक निर्माण |
| श्री मातबर सिंह कण्डारी
22-05-2002 | 48. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में गेटाणी बधाणी खोड़ मोटर मार्ग से सम्बन्धित आगणन शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | लोक निर्माण |
| श्री महेन्द्र भट्ट
22-05-2002 | 49. तृतीय मंगलवार के लिए स्थगित | |
| श्री हरबंस कपूर
24-05-2002 | 50. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासन ने शासनादेश दिनांक 24 दिसम्बर 2001, द्वारा उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में 165.20 कि०मी० मार्ग निर्माण स्वीकृत किये थे और उसके लिए वर्ष 2001-2002 के लिए रु० 49.56 भी आवंटित किए थे ? यदि हाँ, तो उक्त स्वीकृतियों के आधार पर कितना कार्य हो चुका है और कितना शेष है ? | लोक निर्माण |
| श्री हरबंस कपूर
24-05-2002 | 51. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निम्बूवाला, कौलागढ़ में उ०प्र० जल निगम द्वारा निर्मित जलाशय की जल वितरण पाइप लाईन निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के कारण वितरण हेतु उपलब्ध पेयजल का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी वर्तमान में डाली गई पाइप लाईन के स्थान पर दूसरी पाइप लाईन डालेंगे और पूर्व में डाली गई घटिया पाइप लाईन के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | पेयजल |
| श्री हरबंस कपूर
24-05-2002 | 52. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर के अनेक क्षेत्रों में पथ प्रकाश के लिए लगाये गये सोडियम लैम्प/ट्यूब लाइट को दिन में बन्द करने के लिए सरकार सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करेगी तथा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | नगर विकास |

नत्थी “ग”

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 जून, 2002 की बैठक में दिनांक 11 जून, 2002 से 14 जून, 2002 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

जून, 2002

11 मंगलवार

- (1) स्व0 श्री बी0डी0 जत्ती, भूतपूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोकोद्गार।
- (2) उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन।
- (3) 11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (4) 16-श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (5) 24-परिवहन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (6) 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (7) 08-आबकारी विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (8) 26-पर्यटन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (9) 17-कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (10) 06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (11) 25-खाद्य विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (12) 27-वन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (13) 15-कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (14) 18-सहकारिता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (15) 28-पशुपालन संबंधी कार्य विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (16) 23-उद्योग विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (17) द्वितीय सत्र में प्राप्त नियम-103 की सूचना-श्री मातबर सिंह कण्डारी-“इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश में पौलिथीन के प्रयोग में नियम बनाकर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाय।”

12 बुधवार

- (1) उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।
- (2) 01-विधान सभा की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)
- (3) 02-राज्यपाल की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
(विवाद नहीं होगा)
- (4) 03-मंत्रि-परिषद की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)
- (5) 14-सूचना विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (6) 22-लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (7) 13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।
- (8) 19-ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

(9) 20-सिंचाई तथा बाढ़ विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

(10) द्वितीय सत्र में प्राप्त नियम-103 की सूचना:- श्री नारायण पाल-“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उधम सिंह नगर की ग्राम सभा गिधोर, देवीपुर, आस्ता, विही, चैतुअखेड़ा, ज्ञानपुर गौड़ी, कालाबूथ, पीराडांया, पीलापानी में जाने हेतु सड़क का निर्माण तथा आवश्यक पुलिया निर्माण हेतु वित्त की व्यवस्था इसी सत्र में करा दी जाय।”

13 गुरुवार

(1) 04-न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)

(2) 05-निर्वाचन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

(3) 07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

(4) 09-लोक सेवा आयोग विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)

(5) 10-पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

(6) 21-ऊर्जा विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

(7) शेष विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(1) उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

(2) द्वितीय सत्र में प्राप्त नियम-103 की सूचना:-श्री प्रकाश पंत, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री कैलाश शर्मा, श्री मालचन्द, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्रीमती विजय बड़वाल तथा श्री मदन कौशिक-“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य की राजधानी प्रदेश के केन्द्र बिन्दु में बनाए जाने की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण कर ली जाय।”

14 शुक्रवार

(1) असरकारी दिवस।

प्रथम सत्र, 2002 के लम्बित संकल्प

1. श्री बिशन सिंह चुफाल
श्री प्रकाश पंत
श्री मातबर सिंह कण्डारी
श्री सुरेश चन्द
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ा कर 1 करोड़ कर दिया जाय।”

2. श्री मदन कौशिक

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में अर्ध कुम्भ, 2004 में अस्थाई निर्माण के स्थान पर स्थायी कार्य कराये जायें।”

3. श्री मातबर सिंह कण्डारी

“इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिये उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।”

4. श्री प्रकाश पंत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243 (क) से 243 य च के प्रावधानों के अनुसार विधि इसी सत्र में बना ली जाय।”

5. श्री काशी सिंह ऐरी
श्री बलबीर सिंह नेगी
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
श्री नारायण सिंह जंतवाल
श्री प्रीतम सिंह पंवार

“यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि सबके लिए शिक्षा योजना की भाँति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बना कर प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायें।”

द्वितीय सत्र, 2002 के असरकारी संकल्प

1. श्री प्रकाश पंत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रतिवर्ष होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायें तथा सम्पूर्ण यात्रा मार्ग को तीर्थ यात्रा मार्ग के रूप में विकसित किया जाय।”

2. श्री मातबर सिंह कण्डारी

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाय।”

3. श्री मदन कौशिक

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र हरि की पैड़ी, गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखा जाय।”

4. श्री अजय भट्ट

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि छावनी परिषद, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगर पालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।”

5. श्रीमती विजय बड़थवाल

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र, यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल की चार पट्टियों विचलाढांगू, मल्लाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्लाढांगू उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकास खण्ड जाखणीखाल बनाया जाय।”

नियम-103 के अन्तर्गत सूचना:- श्री मदन कौशिक- “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय।”

नत्थी (घ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग
लेखा शीर्षक-(2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2204-खेल-कूद तथा युवा सेवायें, 2205-कला एवं संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
7. श्री सुरेश चन्द जैन
8. श्री मदन कौशिक
9. श्री हरभजन सिंह चीमा
10. श्री मालचन्द्र
11. श्री कैलाश शर्मा
12. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
13. श्रीमती विजय बड़वाल
14. श्री गोविन्द लाल शाह
15. श्रीमती आशा नौटियाल
16. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ङ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 16-श्रम और रोजगार विभाग
लेखा शीर्षक-(2230-श्रम तथा रोजगार)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
7. श्री सुरेश चन्द जैन
8. श्री मदन कौशिक
9. श्री हरभजन सिंह चीमा
10. श्री मालचन्द्र
11. श्री कैलाश शर्मा
12. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
13. श्रीमती विजय बड़वाल
14. श्री गोविन्द लाल शाह
15. श्रीमती आशा नौटियाल
16. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (च)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 24-परिवहन विभाग

लेखा शीर्षक-(2041-वाहन कर, 3053-नागर विमानन, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन, 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिलय)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
7. श्री सुरेश चन्द जैन
8. श्री मदन कौशिक
9. श्री हरभजन सिंह चीमा
10. श्री मालचन्द्र
11. श्री कैलाश शर्मा
12. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
13. श्रीमती विजय बड़वाल
14. श्री गोविन्द लाल शाह
15. श्रीमती आशा नौटियाल
16. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (छ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग

लेखा शीर्षक-(2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिलय)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री सुरेश चन्द जैन
7. श्री मदन कौशिक
8. श्री हरभजन सिंह चीमा
9. श्री मालचन्द्र
10. श्री कैलाश शर्मा
11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
12. श्रीमती विजय बड़वाल
13. श्री गोविन्द लाल शाह
14. श्रीमती आशा नौटियाल
15. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ज)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्यय की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 08-आबकारी विभाग

लेखा शीर्षक-(2039-राज्य उत्पादन शुल्क, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री हरभजन सिंह चीमा
8. श्री मालचन्द्र
9. श्री कैलाश शर्मा
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
11. श्रीमती विजय बड़वाल
12. श्री गोविन्द लाल शाह
13. श्रीमती आशा नौटियाल
14. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (झ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्यय की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 26-पर्यटन विभाग

लेखा शीर्षक-(3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
7. श्री सुरेश चन्द जैन
8. श्री मदन कौशिक
9. श्री हरभजन सिंह चीमा
10. श्री मालचन्द्र
11. श्री कैलाश शर्मा
12. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
13. श्रीमती विजय बड़वाल
14. श्री गोविन्द लाल शाह
15. श्रीमती आशा नौटियाल
16. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ज)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 17-कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग

लेखा शीर्षक-(2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, 6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
7. श्री मदन कौशिक
8. श्री हरभजन सिंह चीमा
9. श्री मालचन्द्र
10. श्री कैलाश शर्मा
11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
12. श्रीमती विजय बड़थवाल
13. श्री गोविन्द लाल शाह
14. श्रीमती आशा नौटियाल
15. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ट)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग

लेखा शीर्षक-(2029-भू-राजस्व, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2075-विविध सामान्य सेवाएँ, 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री हरभजन सिंह चीमा
8. श्री मालचन्द्र
9. श्री कैलाश शर्मा
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
11. श्रीमती विजय बड़थवाल
12. श्री गोविन्द लाल शाह
13. श्रीमती आशा नौटियाल
14. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ठ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 25-खाद्य विभाग

लेखा शीर्षक-(2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण, 3456-सिविल पूर्ति, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परित्यय)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री हरभजन सिंह चीमा
8. श्री मालचन्द्र
9. श्री कैलाश शर्मा
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
11. श्रीमती विजय बड़वाल
12. श्री गोविन्द लाल शाह
13. श्रीमती आशा नौटियाल
14. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ड)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 27-वन विभाग

लेखा शीर्षक-(2046-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परित्यय, 6406-वानिकी और वन्य जीवन हेतु ऋण)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
7. श्री मदन कौशिक
8. श्री हरभजन सिंह चीमा
9. श्री मालचन्द्र
10. श्री कैलाश शर्मा
11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
12. श्रीमती विजय बड़वाल
13. श्री गोविन्द लाल शाह
14. श्रीमती आशा नौटियाल
15. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ढ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 15-कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग

लेखा शीर्षक-(2225-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवायें, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें, 4225-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री हरभजन सिंह चीमा
8. श्री मालचन्द्र
9. श्री कैलाश शर्मा
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
11. श्रीमती विजय बड़थवाल
12. श्री गोविन्द लाल शाह
13. श्रीमती आशा नौटियाल
14. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ण)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 18-सहकारिता विभाग

लेखा शीर्षक-(2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिए कर्ज)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री हरभजन सिंह चीमा
8. श्री मालचन्द्र
9. श्री कैलाश शर्मा
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
11. श्रीमती विजय बड़थवाल
12. श्री गोविन्द लाल शाह
13. श्रीमती आशा नौटियाल
14. श्री काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (त)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 28-पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग

लेखा शीर्षक-(2403-पशुपालन, 2404-डेरी विकास, 2405-मछली पालन, 4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय, 4404-डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
7. श्री मदन कौशिक
8. श्री हरभजन सिंह चीमा
9. श्री मालचन्द्र
10. श्री कैलाश शर्मा
11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
12. श्रीमती विजय बड़वाल
13. श्री गोविन्द लाल शाह
14. श्रीमती आशा नौटियाल
15. श्री काजी निजामुद्दीन

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (थ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 23-उद्योग विभाग

लेखा शीर्षक-(2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2851-ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय, 4858-इंजिनियरी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, 5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी
2. श्री प्रकाश पंत
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री सुरेश चन्द जैन
7. श्री मदन कौशिक
8. श्री हरभजन सिंह चीमा
9. श्री मालचन्द्र
10. श्री कैलाश शर्मा
11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
12. श्रीमती विजय बड़वाल
13. श्री गोविन्द लाल शाह
14. श्रीमती आशा नौटियाल
15. श्री काजी निजामुद्दीन

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।